न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/17

अनवान :

1. संदीप कुमार पुत्र श्रीमति साहबकौर पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. साहबकौर पत्नि तुलछाराम कौम जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राकेश कुमार पुत्र साहबकौर पत्नि तुलछाराम कौम जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक बिनाय सहादत हर किस्म अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : वादी

निर्णय **दिनांक :** 7.12.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव 11 एएमएस के वर्तमान खाता सं0 98/92 के मु0नं0 33 का किला नं0 19, 20, 21, 22 कुल किता 4 की 1.012 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में साहबकौर पत्नि तुलछाराम के नाम दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के ससूर गोकलराम के नाम दर्ज थी तथा गोकलराम के उक्त कृषि भूमि तुलछाराम की पत्नि के नाम दर्ज हो गई। तुलछाराम का देहान्त हो चुका है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के साथ विरासतन निहित है।

उपरोक्त कृषिभूमि विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर निहित है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बंटवारा कर 2–2 किला बंटवारा कर दे रखी है जिसमें वादी को मु0नं0 33 का किला नं0 19, 22 व प्रतिवादी सं0 2 को 20, 21 दे रखी है व प्रतिवादीया सं0 1 साहबकौर के पास एक अन्य खाता की 2 किता कृषि भूमि है जो प्रतिवादीया सं0 1 के पति के नाम दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादिया सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी ने वादी स्वयं संदीप कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 एएमएस खाता सं0 98/92 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 11 एएमएस सम्वत् 2036 प्रदर्श 2,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये एवं सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर चक 11 एएमएस की प्रस्तुत की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि जमीन वादी के दादा के नाम थी। वादी की माता को जरिये वसीयत प्राप्त हुई। वादी व प्रतिवादी को 1/3–1/3 का हिस्सेदार घोषत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 11 एएमएस में अपनी माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में विवादित कृषि भूमि को विरास्तन कृषि भूमि बताया है। परन्तु प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर चक 11 एएमएस के कॉलम सं0 5, 11 व 14 से अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी गोकल से साबहकौर को जरिये वसीयतनामा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वसीयत में प्राप्त उक्त कृषि भूमि में साहबकौर के जीवनकाल में वादी का कोई हक व अधिकारी निहित नहीं है।

अत : वाद वादी डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/17

अनवान :

1. संदीप कुमार पुत्र श्रीमति साहबकौर पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. साहबकौर पत्नि तुलछाराम कौम जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राकेश कुमार पुत्र साहबकौर पत्नि तुलछाराम कौम जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7.12.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़